

न्यायालय:- अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी0सी0 थपलियाल)

प्र0कं0 25/13 क्लैम
संस्थित दिनांक 10-10-13

- 1- विद्याराम सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह आयु 65 साल ।
- 2- श्रीमती कुसमा देवी पत्नी विद्याराम सिंह आयु 50 साल । निवासीगण वार्ड न. 5 गोहद जिला भिण्ड म.प्र. ।आवेदकगण

बनाम

- 1- बंटी उर्फ रामजीत पुत्र श्री संतराम जाति राठौर आयु 20 साल निवासी चौधरी मार्केट के पीछे मौ रोड वार्ड न. 12 मेहगॉव जिला भिण्ड म.प्र. ।
- 2- हरीशंकर पुरोहित पुत्र श्री देवीदीन पुरोहित निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र. ।
- 3- यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड शाखा फालका बाजार ग्वालियर म.प्र. ।
.....बीमाकंपनी / अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि0 ।
अनावेदक कं0-1 व 2 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधि0 ।
अनावेदक कं0-3 द्वारा श्री सुनील कांकर अधि0

// अधि- निर्णय //

(आज दिनांक 29-9-2014 को घोषित किया गया)

01. आवेदगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम का निराकरण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है जिसमें आवेदकगण ने

अनावेदकगण के विरुद्ध मोटरयान दुर्घटना जो कि वाहन बजाज डिस्क्वर मोटर साइकिल एम. पी. 30 एम.ई. 5459 के फलस्वरूप उनके पुत्र धर्मेन्द्र के मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की राशि 43,45,000/- रूपए दिलाए जाने बावत् आवेदनपत्र पेश किया है।

02. यह अविवादित है कि मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.ई. 5459 का अनावेदक क्रमांक 2 स्वामी है तथा उपरौक्त मोटर साइकिल दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी से बीमित थी।

03. आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 30.07.13 को आवेदकगण का पुत्र धर्मेन्द्र अपने साथी बीरसिंह और गौरव के साथ दंदरौआ हनुमान मंदिर में बीर सिंह डिस्क्वर मोटर साइकिल से दर्शन करने हेतु गया था। दर्शन करने के पश्चात् लौट रहे थे। उस समय बीरसिंह मोटर साइकिल चला रहा था, गौरव बीच में बैठा था और मृतक धर्मेन्द्र पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही दंदरौआ से चलकर मौ मेहगॉव रोड पर नो बजे के करीब पहुँचे पीछे से एक मोटर साइकिल बजाज डिस्क्वर काले रंग की जिसे अनावेदक क्रमांक 1 तेजी व लापरवाही से चला रहा था उसने धर्मेन्द्र को टक्कर मार दी। जिससे मोटर साइकिल पर बैठे तीन लोग गिर गए और धर्मेन्द्र को घटना में चोटें आईं। अनावेदक क्रमांक 1 अपनी मोटर साइकिल को उठाकर मेहगॉव तरफ भाग गया था। उसे शक्ल से पहिचान लिया गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मौ में तुरंत दर्ज कराई गई और धर्मेन्द्र को इलाज कराने हेतु मौ अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने थाना मौ पर अपराध क्रमांक 137/13 धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मोटर साइकिल और उसके दस्तावेजों की जप्ती की गई सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अप.क्र. 725/13 ई.फौ. संबंधित जे.एम.एफ.सी कोर्ट में पेश किया गया।

04. आवेदकगण ने अपने आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया है कि दुर्घटना के समय मृतक धर्मेन्द्र 20 साल का नवयुवक था जो कि आवेदकगण का पुत्र था और विद्या अध्ययन कर बी.एस.सी पास किया था, जो कि प्रथम श्रेणी में बी.एस.सी की परीक्षा उसके द्वारा पास की गई थी। इसके अतिरिक्त भैंसों के दूध बैचने का कार्य में माता-पिता का सहयोग करता था और जीवित रहने पर भविष्य में पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी एवं धंधा कर सकता था जिससे कि आवेदकगण बंचित हो गए हैं। मृतक सामान्य रूप से दो सौ रूपए प्रतिदिन मजदूरी कर के वह यदि 60 साल तक कार्य करता तो वह 43,20,000/- रूपए कमाई कर लेता। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के खर्चे के रूप में दस हजार रूपए एवं दावा बनवाने एवं अभिभाषक नियुक्त करने में पंद्रह हजार रूपए खर्च हुआ है। उक्त वाहन मोटर

साइकिल जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व की है जिसे कि घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 चला रहा था एवं उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित थी एवं क्षति के रूप में अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से 43,45,000/- रूपए क्षतिपूर्ति दिलाने का निवेदन किया है।

05. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने अपने जबाब में आवेदकगण के द्वारा अपने आवेदनपत्र में बताये गए तथ्यों का गलत होना बताते हुए यह बताया है कि अनावेदक क्रमांक 1 की लापरवाही से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। फरियादी ने गलत रूप से थाना मौ में अपराध दर्ज कराया है और पुलिस ने गलत रूप से चालान पेश किया है। अभिभाषक शुल्क आवेदक स्वयं तय नहीं कर सकता। अनावेदक की मोटर साइकिल को गलत रूप से फँसाया गया है। ऐसी दशा में क्लेम आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी ने अपने जबाब में आवेदकगण के द्वारा आवेदनपत्र में बताए गए अभिवचनों को इंकार करते हुए प्रश्नाधीन वाहन मोटर साइकिल के चालक की तेजी व लापरवाही से कोई भी दुर्घटना घटित होने की बात से इंकार किया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि मृतक की कोई भी आय नहीं थी और न ही वह कोई व्यवसाय करता था। उसकी आय 200/- रूपए प्रतिदिन होना गलत रूप से लिखाया गया है। वह कोई विद्या अध्ययन भी नहीं करता था। प्रश्नाधीन वाहन मोटर साइकिल क्रमांक एम. पी. 30 एम.ई. 5459 के द्वारा कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई वाहन को षडयंत्र पूर्वक फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात वाहन का उल्लेख है। अतिरिक्त अभिकथित बीमा कम्पनी के द्वारा यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को उपरोक्त वाहन चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस नहीं था। बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरुद्ध वाहन चलाया जा रहा था, इस कारण बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस मोटर साइकिल से मृतक जा रहा था उस मोटर साइकिल की तेजी व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई है उसके चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तथा उस पर निश्चित संख्या से अधिक लोग बैठे हुए थे। ऐसी दशा में भी आवेदकगण कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्षतिपूर्ति बावत् वर्तमान आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. आवेदकगण एवं अनावेदकगण के उपरांत अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गई है जिनके समक्ष निकाले गए निष्कर्ष लेखबद्ध किए हैं—

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 30.07.2013 को दंदरौआ हनुमान मंदिर के सामने मौ मेहगॉव रोड पर अनावेदक कं. 1 के द्वारा मोटर साइकिल कं. एम.पी. 30 एम.ई. 5459 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक धर्मेन्द्र को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की?	
2	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन उपरोक्त मोटर साइकिल मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी?	
3	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हाँ तो किस से एवं कितना कितना?	
4	स्हायता एवं व्यय?	

∴- निष्कर्ष के आधार-∴

विंदु क्रमांक 1 का सकारण निष्कर्ष:-

08. आवेदक विद्याराम आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने साक्ष्य में बताया कि घटना दिनांक को उसका पुत्र धर्मेन्द्र दंदरौआ हनुमान मंदिर में मोटरसाइकिल से गया था जब सामने मौ रोड पर आया तो उसके साथ गौरव और बीरसिंह भी थे तभी एक मोटर साइकिल वाले ने अपनी मोटर साइकिल तेजी व लापरवाही से चलाकर उक्त धर्मेन्द्र सिंह को टक्कर मारी जिससे धर्मेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई। टक्कर करने वाले व्यक्ति का नाम उसे पता लगा था जिसका नाम बंटी उर्फ रामजीत था। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना मौ में हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर फौजदारी प्रकरण चल रहा है। आवेदक के द्वारा की गई आपराधिक प्रकरण से प्राप्त अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि जिनमें अभियोपत्र प्र.पी. 1, एफ.आई.आर प्र.पी. 2, नक्शा मौका प्र.पी. 3, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4, शव परीक्षण आवेदन प्र.पी. 5, पी.एम.रिपोर्ट प्र.पी. 6, मेडीकल हेतु आवेदनपत्र प्र.पी. 7, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 8, बीरसिंह की मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.

9, गौरव का जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 पेश किया है।

09. प्रतिपरीक्षण में आवेदक के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि जिस दिन घटना घटित हुई घटना स्थल पर वह नहीं था। इस सुझाव से इंकार किया है कि बंटी उर्फ रामदीन के द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गई। यद्यपि यह सत्य है कि आवेदक के द्वारा कोई घटना स्वयं नहीं देखी गई है, किन्तु घटना के पश्चात् उसे

घटना के बारे में पता चला एवं उसके द्वारा अपने पुत्र के मृत शरीर को देखा गया था तथा उसे मोटर साइकिल के चालक का नाम भी पता चला था।

10. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी बीरसिंह साक्षी क्रमांक 2 जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है तथा जो कि घटना के समय उस मोटर साइकिल को चला रहा था जिसमें कि मृतक बैठा था। उसके द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में आवेदक के आवेदनपत्र एवं आवेदक विद्याराम के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को हनुमान मंदिर के दर्शन कर मौ मेहगाँव रोड पर खड़े थे तभी एक मोटर साइकिल वाला जिसके कि अनावेदक बंटी उर्फ रामदीन तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे एवं गौरव को मामूली चोटें आई और धर्मेन्द्र को अधिक चोटें आई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना मौ में दर्ज कराई थी। मृतक धर्मेन्द्र व गौरव का मेडीकल परीक्षण हुआ था। जिस मोटरसाइकिल के द्वारा घटना कारित की गई थी उसका नम्बर एम.पी. 30 एम.ई. 5459 डिस्क्वर मोटर साइकिल थी जिसे अनावेदक बंटी के द्वारा चलाकर टक्कर मार दी गई थी।

11. प्रतिपरीक्षण में कंडिका 6 में इस बात को स्वीकार किया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाली मोटर साइकिल का नम्बर नहीं पता था इस कारण उस समय उसका नम्बर नहीं लिखाया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 के प्रारंभ में ही साक्षी को यह सुझाव दिया गया कि घटना कारित करने वाली मोटर साइकिल में तीन लोग बैठे हुए थे जिसे कि बंटी चला रहा था। उक्त तथ्य भी इस बात को पुष्ट करता है कि घटना के समय अनावेदक बंटी के द्वारा ही दुर्घटना कारित करने वाली मोटर साइकिल को चलाया जा रहा था। कंडिका 3 में इस बात से इंकार किया है कि मृतक धर्मेन्द्र के पिता विद्याराम से मिलकर गलत रिपोर्ट करायी गई है। साक्षी के द्वारा स्वातः स्पष्ट किया गया है कि उसके गाँव के लोग आ गए थे जिन्होंने चालक को पहिचान लिया था और उन्होंने घटना कारित करने वाले का नाम और नम्बर देख लिया था। यह स्वभाविक लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हुई हो वह घटना के सदमे में गाडी का नम्बर आदि नहीं देख

पाया है जिस कारण से उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोटरसाइकिल का नम्बर नहीं लिखाया गया है और बाद में जिन लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल चालक अनावेदक को देखा और उसका नम्बर देखा गया उनके द्वारा इस बारे में पुलिस को जानकारी गई है।

12. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान साक्षी बीरसिंह को यह सुझाव दिया गया है कि घटना दिनांक को उसके पास मोटरसाइकिल चलाने हेतु लाइसेंस मौजूद नहीं था तथा यह भी सुझाव दिया गया है कि उस समय मोटर साइकिल में तीन लोग बैठे हुए थे और वह हेलमेट नहीं पहने हुए थे, जिन सुझावों को साक्षी के द्वारा स्वीकार किया है, किन्तु साक्षी के द्वारा इस सुझाव से साफतौर से इंकार किया है कि घटना के समय वह मोटर साइकिल चालक को नहीं जानता था और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसकी गलती, तेली वल लापरवाही से मोटर साइकिल चलाने से घटना घटित हुई है। ऐसी स्थिति में जबकि दुर्घटना का कारण तीन सवारियों बैठे होना अथवा जिस मोटरसाइकिल के साथ दुर्घटना घटित हुई है उसके चालक के पास घटना के समय मोटर साइकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद न होने के आधार भी दुर्घटना का कारण नहीं माना जा सकता। उक्त तथ्य घटना कारित करने के लिए किसी प्रकार से योगदायी उपेक्षा के कारक भी नहीं है। यद्यपि ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद न होना अथवा तीन व्यक्तियों के मोटर साइकिल में बिठाकर ले जाना या हेलमेट न लगाना मोटरसाइकिल एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, किन्तु मात्र उक्त आधार पर जबतक कि यह तथ्य प्रमाणित न हो कि उस वाहन जिसमें कि मृतक बैठा हुआ था के चालक के द्वारा किस प्रकार की उपेक्षा की गई है इस संबंध में कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती।

13. आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी गौरव साक्षी क्रमांक 3 जो कि उक्त घटना का अन्य आहत है उसके द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना दिनांक को मंदिर के दर्शन कर मौ मेहगाँव रोड पर खड़े थे तभी एक मोटर साइकिल डिस्क्वर जिसे कि बंटी उर्फ रामदीन तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटर साइकिल में टक्कर मारी। उक्त दुर्घटना में मृतक धर्मेन्द्र को अधिक चोट होने के कारण वह खत्म हो गया था। अनावेदक बंटी के नाम का बाद में पता चला था। उसका भी मेडीकल परीक्षण हुआ था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर पता नहीं था बाद में पता चला था उसे बीर सिंह ने नम्बर बताया था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि मोटर साइकिल को दुर्घटना में गलत रूप से लिखाया गया है। कंडिका 6 में इस सुझाव को गलत बताया है कि बंटी की मोटरसाइकिल को बंटी तेजी और लापरवाही से चलाकर उसके द्वारा दुर्घटना कारित नहीं की गई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी

गौरव साक्षी क्रमांक 3 के कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 प्रश्नाधीन मोटर साइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उने धर्मेन्द्र सिंह व वर्तमान साक्षी गौरव को टक्कर मारी।

14. उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक धर्मेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाना उपरोक्त साक्षियों के कथनों में स्पष्ट तौर से आया है जो कि इस संबंध में शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 6 है जो कि आवेदक पक्ष के द्वारा पेश किया गया है उसमें भी स्पष्ट रूप से सिर में आई चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो जाने का उल्लेख आया है। इस प्रकार मृतक धर्मेन्द्र की मृत्यु दुर्घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप होना प्रतीत है।

15. आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का समर्थन व पुष्टि आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से भी होती है जो कि घटना के पश्चात् घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 की दर्ज कराई गई है जिस पर से थाना मौ में अपराध धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना की विवेचना के दौरान प्रश्नाधीन मोटर साइकिल डिस्कवर बजाज जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 30 एम.ई 5459 की जप्ती तथा उसके कागजातों की जप्ती प्र.पी. 10 के अनुसार की गई है, किन्तु जप्तशुदा मोटर साइकिल अनावेदक क्रमांक 2 जो कि उसके स्वामी के द्वारा सुपुर्दगीनामा पर ली गई है जो कि सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4 है। उपरोक्त प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् पुलिस थाना मौ के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त दुर्घटना के दौरान अन्य आहतगणों के चोटों आने के संबंध में चिकित्सीय प्रतिवेदन प्र.पी. 9 पेश किया गया है जिसमें कि उसको भी चोटों आने की पुष्टि होती है।

16. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यहाँ तक अनावेदक क्रमांक 1 जो कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल को दुर्घटना के समय चला रहा था के कथन अनावेदक पक्ष की ओर से नहीं कराये गए हैं। ऐसी दशा में आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

17. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी के द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोटरसायकिल के नम्बर का उल्लेख नहीं है वहां अज्ञात लिखा हुआ है। उक्त मोटरसायकिल को घटना में किस प्रकार से संलग्न किया गया है इस संबंध में विवेचना अधिकारी के कथन भी अभियोजन के द्वारा नहीं कराये गये हैं

कि उक्त वाहन को बाद में किस आधार पर जोड़ा गया है । इस संबंध में बीमा कंपनी के द्वारा आई०एल०आर०२००८ एम०पी० २३६७ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम सेतुबाई, २०१२(४)पी०ए०सी० मध्यप्रदेश ७०० विनोद कुमार बनाम मौहम्मद हफीज, दु०मु०प्र० २००२ (१०४) रामकरन बनाम दिनेश सिंह, डी०एम०पी०-२००३ द्वितीय ३३८ सरलादेवी बनाम मूलचन्द्र पेश किये गये हैं । जहां तक उपरोक्त न्यायदृष्टान्तों के तथ्यों एवं परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं । यद्यपि अनुसंधान अधिकारी के कथन नहीं हुये हैं किन्तु प्रकरण में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा दस्तावेजों जो कि अनुसंधान उपरांत अनावेदक क्रमांक-१ के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है । अनावेदक क्रमांक-१ को अपराध में झूठा लिप्त किया गया है अथवा फर्जी रूप से केश दर्ज किया गया हो ऐसी कोई भी शिकायत संबंधित थाने में या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की जानी भी दर्शित नहीं होती है । ऐसी दशा में अनुसंधान अधिकारी के कथन नहीं कराये हैं तो इस संबंध में विपरीत अवधारणा करने का आधार नहीं हो सकता ।

१८. इस प्रकार अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक १ के द्वारा मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. ३० एम.ई. ५४५९ को तेजी व जापरवाही से चलाकर मृतक धर्मेन्द्र को टक्कर मारी गई जिससे कि धर्मेन्द्र की मृत्यु कारित हुई। तदनुसार वर्तमान बिंदु का निराकरण कर उत्तर हाँ में दिया जाता है।

बिंदु क्रमांक २ का सकारण निष्कर्ष:-

१९. वर्तमान बिंदु को प्रमाणित करने के आधार अनावेदक क्रमांक ३ बीमा कम्पनी पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन मोटर साइकिल मोटरयान अधिनियम तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी । इस बिंदु पर अनावेदक क्रमांक ३ बीमा कम्पनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं पेश की गई है। इस प्रकार बीमा कम्पनी के द्वारा मूल बीमा पॉलिसी प्र.डी. १ पेश किया है जिसको अनावेदक क्रमांक १ व २ के द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त बीमा पॉलिसी से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन मोटर साइकिल बीमा कम्पनी में बीमित था। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जो आधार लिया गया है वह उनकी ओर से किसी भी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में जब कि वर्तमान बिंदु पर अनावेदक क्रमांक ३ बीमा कम्पनी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। बिंदु का निराकरण कर उत्तर नहीं में दिया जाता है।

बिंदु क्रमांक 3 का सकारण निष्कर्ष:-

20. प्रकरण में पूर्ववर्ती वादप्रश्न पर की गई विवेचना तथा निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित होना पाया गया है कि प्रश्नाधीन मोटर साइकिल के चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई है। आवेदकगण मृतक के माता-पिता हैं जिनके द्वारा उसकी मृत्यु के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का आवेदनपत्र पेश किया गया है। उक्त वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का होना अविवादित है तथा वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था।

21. मृतक धर्मेन्द्र सिंह घटना के समय बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष का छात्र होना बताया गया है। इस संबंध में आवेदक विद्याराम की द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि धर्मेन्द्र कक्षा दसवीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था और बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में भी उसके अच्छे नम्बर आए थे। मृतक धर्मेन्द्र मजदूरी के हिसाब से प्रतिदिन दो सौ रुपये कमाकर एक वर्ष में 72 हजार रुपये कमा लेता और 60 वर्ष तक कमाई करता उस हिसाब तथा दाह संस्कार एवं अभिभाषक शुल्क मिलाकर 43,45,000/- रुपये की क्षति होना आवेदक ने अपने साक्ष्य में बताया है। इस संबंध में मृतक धर्मेन्द्र का पहिचानपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 11सी, हाई स्कूल सर्टीफिकेट प्र.पी. 12 एवं फोटोप्रति प्र.पी. 12सी, इंटर की अंकसूची प्र.पी. 13 एवं फोटोप्रति प्र.पी. 13सी, बी.एस.सी. की अंकसूची प्र.पी. 14 एवं फोटोप्रति प्र.पी. 14सी पेश है और परिवारपत्र की फोटो कॉपी प्र.पी. 15 पेश की गई है।

22. आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक धर्मेन्द्र घटना के समय 21 साल का है जो कि बी.एस.सी. तृतीय सेमिस्टर का छात्र था। आवेदक की ओर से पेश किये गये अंकसूचि से यह परिलक्षित होता है कि मृतक पढाई में सामान्य से थोड़ा अच्छी श्रेणी का था। मृतक की घटना के समय कोई निश्चित आय नहीं मानी जा सकती। यद्यपि मृतक की मृत्यु के समय के आय अर्जित करने की क्षमता नहीं थी किन्तु वह पढलिख कर के जो कि पढाई पूरी कर वह कोई व्यवसाय या काम आदि कर कम से कम तीन हजार रुपये 3000/- रुपये मासिक आमदनी अर्जित कर सकता था ऐसा माना जा सकता है। मृतक धर्मेन्द्र दुर्घटना के समय अविवाहित था। आवेदकगण मृतक के माता पिता हैं। मृतक के पिता की उम्र आवेदनपत्र में 65 वर्ष होना दर्शायी गयी है। माता की उम्र आवेदनपत्र में 50 वर्ष होना दर्शायी गयी है। यद्यपि माता की उम्र के संबंध में पृथक से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा परिवार पत्र की फोटो कोपी पेश की है जिसमें सन् 2006 के अनुसार माता कुसुमा देवी की उम्र 45 वर्ष लिखी थी। इस प्रकार कुसुमा देवी की वर्तमान में उम्र 53-54 वर्ष के करीब निर्धारित की जाती है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में सरला वर्मा वि० दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2009 ए.सी.जे. 1298 एस.सी. में दिये गये सिद्धांत के अनुसार मृतक जो कि मृत्यु के समय अविवाहित था । ऐसी दशा में मृतक आमदनी का $1/2$ भाग स्वयं पर व्यय करता ऐसा अवधारित किया जाता है । इस प्रकार आमदनी के नुकसानी के मद् में जो कि मृतक की मासिक आमदनी 3000/- रुपये निर्धारित की गयी है जो कि वार्षिक 36000/- हजार रुपये जिसमें से $1/2$ भाग मृतक स्वयं के व्यय पर वहन करता । इस प्रकार आमदनी के नुकसान के मद् में 18000/- रुपये वार्षिक निर्धारित किया जाता है । उक्त राशि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सरला वर्मा के न्यायदृष्टान्त में दिये गये सिद्धान्त को देखते हुये माता की उम्र के अनुसार गुणांक लगेगा जो कि माता की उम्र के अनुसार 11 का गुणांक लगेगा । इस प्रकार आमदनी के नुकसान के मद् में $18000/- \times 11 = 198000$ रूपया निर्धारित किया जाता है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण जो कि मृतक माता पिता हैं प्यार और स्नेह के मद् में 30000/- रुपये तथा अन्तिम संस्कार के खर्च के रूप में 10000/-रुपये दिलाया जाना उचित होगा । इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 238000/-दो लाख अठतीस हजार रुपये निर्धारित की जाती है । उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक आवेदकगण 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने के भी अधिकारी होंगे । प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रं०1 जो कि घटना के समय वाहन चला रहा था तथा क्रं०2 जो कि वाहन का मालिक है तथा अनावेदक क्रं०3 बीमा कंपनी का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा ।

24. तदनुसार आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 238000/-रुपये प्रतिकर के रूप में पाने के अधिकारी हैं । वर्तमान वाद प्रश्न का निराकरण उपरोक्तानुसार किया जाता है ।

सहायता एवं व्यय :-बिन्दु क्रमांक-4:-

25. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विप्लेषण के दौरान एवं वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्षों के आलोक में आवेदकगण का वर्तमान आवेदनपत्र आंशिक रूप से प्रमाणित होता है । इस संबंध में निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है :-

1-आवेदकगण अनावेदकगण क्षतिपूर्ति के रूप में संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से 238000/- रुपये प्रतिकर स्वरूप पाने के हकदार हैं ।

2-आवेदकगण उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने के भी अधिकारी हैं ।

3—उक्त प्रतिकर की राशि जमा होने पर आवेदकगण प्रत्येक आधी आधी राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । आवेदकगणों को प्राप्त होने वाली राशि साठ प्रतिशत भाग तीन वर्ष के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा की जाये शेष राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाये ।

4—अभिभाषक शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया जाता है ।
तदनुसार व्यय तालिका बनाई जाये ।

अवार्ड खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी० थपलियाल)
अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी० थपलियाल)
अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड